रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2010/पौष 21, 1931

No. 18] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2010/PAUSA 21, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2010

सा.का.नि. 24(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये 15 जनवरी, 2010 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में,—

(i) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10(1) प्रत्येक व्यक्ति अथवा निगमित निकाय का कोई नामित जो सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार के रूप में नियुक्त किए जाने का आशय रखता है केन्द्रीय सरकार को, उपाबंध 'क' में यथावर्णित फीस के साथ प्ररूप 7 में यथाउपबंधित रीति से अभिहित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) के आबंटन के लिए इलैक्ट्रोनिक रूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) (i) उप-नियम (1) के अधीन कोई आवेदन करने के लिए, आवेदक निम्नलिखित संलग्न करेगा :—

(क) स्वयं का फोटो, जन्म की तारीख और पिता के नाम वाली पहचान के सबूत की प्रमाणित या अनुप्रमाणित प्रति;

(ख) निवास के सबूत की अनुप्रमाणित या प्रमाणित प्रति;

(ग) सादा कागज पर चिपके हुए हाल का अपना अनुप्रमाणित फोटो और उस कागज पर अपने नाम का उल्लेख करें तथा उस पर अपने दो हस्ताक्षर करें;

(ii) यदि आवेदक विदेशी नागरिक है तो विधिमान्य पासपोर्ट की एक प्रति पहचान का सबूत होगी ।

(iii) यदि आवेदक, किसी निगमित निकाय का नामनिर्देशिती है तो उसकी ओर से अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए गए व्यक्ति का नाम और पते का उल्लेख करते हुए निगमित निकाय के शीर्षनामें पर संकल्प या प्राधिकार की एक प्रति भी संलग्न की जाएगी :

परंतु यदि पहचान का सबूत और निवास का सबूत, हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है तो हिंदी या अंग्रेजी में उसके अनुवाद की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित होंगे :-

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी,
(ख) नोटेरी पब्लिक,

(ग) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और लागत एवं संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 के अधीन क्रमशः कंपनी सचिव, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म अकाउंटेंट जो कार्य प्रमाण पत्र रखता है :

परंतु भारत से बाहर रहने वाले विदेशी नागरिकों या भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत निगमित निकाय (निकायों) की दशा में, उपनियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे और इन नियमों के नियम 34 के उपनियम (2) के उपबंध इस प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(4) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन अभिहित भागीदार पहचान संख्या के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई करेगी और उसके अनुमोदन या अस्वीकृत किए जाने का विनिश्चय करेगी तथा आवेदक को अनुमोदन की दशा में आबंटित किए गए अभिहित भागीदार पहचान संख्या सहित ऐसे आवेदन की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर डाक द्वारा पत्र या इलैक्ट्रोनिक रूप से या किसी अन्य रीति से आवेदक को उसकी संसूचना देगी ।

(5) उपनियम (4) के अधीन आबंटित अभिहित भागीदार पहचान संख्या आवेदक के जीवनकाल के लिए विधिमान्य है ।

(6) प्रत्येक अभिहित भागीदार, अभिहित भागीदार किए जाने की अपनी सहमति के साथ प्ररूप 9 में सीमित दायित्व भागीदारी की उसकी अभिहित भागीदार पहचान संख्या को सूचित करेगा ।

(7) (i) प्रत्येक अभिहित भागीदार जिसको इन नियमों के अधीन अभिहित भागीदार पहचान संख्या आबंटित की गई है ऐसे अभिहित भागीदार के विवरणों में किसी परिवर्तन की दशा में ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) के तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप सं. 10 में केन्द्रीय सरकार को ऐसे परिवर्तन सूचित करेगा ।

(ii) अभिहित भागीदार, उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी से परिवर्तित विवरणों के सबूत की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करेंगे ।

(iii) प्ररूप 10 में विवरणों के परिवर्तन (परिवर्तनों) की सूचना के लिए कोई फीस नहीं होगी ।

(8) संबद्ध अभिहित भागीदार, ऐसे परिवर्तन (परिवर्तनों) के 15 दिन के भीतर, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारियों को, जिसमें वह अभिहित भागीदार है, प्ररूप 6 में, विवरणों में परिवर्तन (परिवर्तनों) की भी सूचना देगा ।";

(ii) नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 12. जहां आशयित भागीदार, कोई निगमित निकाय है वहां प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदार होने के लिए ऐसे निगमित निकाय के शीर्षनामे पर संकल्प की प्रति और नामनिर्दिष्ट या उसकी ओर से नामनिर्दिष्ट तथा अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम और पते का शीर्षनामे पर उल्लेख भी करते हुए ऐसे निगमित निकाय के संकल्प या प्राधिकरण की प्रति, संलग्न की जाएगी :

परंतु यदि भारत से बाहर निवास करने वाले विदेशी नागरिक या भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत निगमित निकाय भारत में सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रीकरण के लिए वांछा करते हैं तो निगमन दस्तावेज पर निगमित निकाय के व्यक्ति या नामनिर्देशिती या नामनिर्देशिती तथा अभिहित भागीदार का नाम, पता और हस्ताक्षर, पहचान का सबूत, जहां अपेक्षित हो और इस नियम में निर्दिष्ट दस्तावेज सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे तथा इन नियमों के नियम 34 के उपनियम (2) के उपबंध, इस प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।";

(iii) नियम 21 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" धारा 23 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदार, उस उपधारा में निर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी करार निगमन के तुरंत पश्चात् सभी भागीदारों द्वारा परिशोधित की जाएगी और सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के सम्मुख प्ररूप 3 में, उसमें सम्मिलित जानकारी उपाबंध 'क' में यथा उपबंधित फीस के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।";

(iv) उपाबंध में, प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 4, प्ररूप 5, प्ररूप 6 और प्ररूप 7 के स्थान पर उपाबद्ध प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3, प्ररूप 4, प्ररूप 5, प्ररूप 6 और प्ररूप 7 रखे जाएंगे ;

(v) उपाबंध 'क' के पैरा 4 की मद (ख) में, " 10,000/- रुपए" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "5,000/- रुपए" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

प्ररूप 1

(नियम 18(5) देखें)

नाम के आरक्षण अथवा परिवर्तन के लिए आवेदन

नोट – * से अंकित सभी खानों को आज्ञापक रूप से भरा जाना है।

1. *आवेदन .... नई सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन के लिए

.... विद्यमान सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के परिवर्तन के लिए

भाग क : नाम का आरक्षण

2. आवेदक का ब्यौरा

(i) (क) * क्या आवेदक,................ भागीदार के रूप में एक व्यष्टि है, ...किसी निगमित निकाय का एक नामनिर्देशिती है

(ख) * पहचान संख्या (ड्राप डाउन) ....

(ii) (क) * नाम ....

(ख) *व्यवसाय ....

(ग) *पता पंक्ति 1 ....

पंक्ति 2 ....

*शहर ....जिला......................................

*राज्य ....*पिन कोड ....

*देश ....*आईएसओ देश कोड ....

फोन (एसटीडी कोड सहित) .... फैक्स (एसटीडी कोड सहित) ....

मोबाइल..*ई–मेल आईडी.............................

3. दो प्रस्तावित अभिहित भागीदारों का ब्यौरा (उनमें से एक भारत का निवासी होना चाहिए)

पहले अभिहित भागीदार का ब्यौरा

(i) * क्या अभिहित भागीदार,................ भागीदार के रूप में एक व्यष्टि है, ...किसी निगमित निकाय का एक नामनिर्देशिती है

(ii) * नाम...

(iii) * पहचान संख्या (ड्राप डाउन) ....

(iv)* क्या भारत में निवास कर रहे हैं ? ....हां................नहीं

किसी निगमित निकाय के नामनिर्देशिती की दशा में :

(i) * निगमित निकाय का प्रकार..........................

(ii)* पहचान संख्या (ड्राप डाउन)..

(iii)* निगमित निकाय का नाम..........................

(iv) नामनिर्देशिती को प्राधिकृत करने वाले संकल्प की तारीख..................(ता./मास/वर्ष)

दूसरे अभिहित भागीदार का ब्यौरा

(i) * क्या अभिहित भागीदार,................ भागीदार के रूप में एक व्यष्टि है, ...किसी निगमित निकाय का एक नामनिर्देशिती है

(ii) * नाम...

(iii) * पहचान संख्या (ड्राप डाउन) ....

(iv)*क्या भारत में निवास कर रहे हैं ? ....हां.................नहीं

किसी निगमित निकाय के नामनिर्देशिती की दशा में :

(i) * निगमित निकाय का प्रकार..........................

(ii)* पहचान संख्या (ड्राप डाउन)...

(iii)* निगमित निकाय का नाम...........................

(iv) नामनिर्देशिती को प्राधिकृत करने वाले संकल्प की तारीख..................(ता./मास/वर्ष)

4. * राज्य का नाम जिसमें प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है ....

5. * रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम जिसमें प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रीकृत की जानी है ....

6. * क्या आवेदन, फर्म अथवा निजी कंपनी अथवा गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए है ....हां ....नहीं.

यदि हां, तो प्रयोजन का कथन कीजिए ....फर्म का संपरिवर्तन

.... निजी कंपनी/गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी का संपरिवर्तन

(I) फर्म के संपरिवर्तन की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए :

(i) फर्म का नाम ....

(ii) क्या फर्म रजिस्ट्रीकृत है ....हां ....नहीं

यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए :

(क) कानून/विधि का नाम जिसके अंतर्गत फर्म रजिस्ट्रीकृत है ....

(ख) राज्य का नाम जिसमें फर्म रजिस्ट्रीकृत है ....

(ग) रजिस्ट्रीकरण की तारीख ....

(घ) रजिस्ट्रीकृत संख्या ....

(II) निजी कंपनी अथवा गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के संपरिवर्तन की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए

(i) सीआईएन.......................................

(ii) नाम ....

7. * सीमित दायित्व भागीदारी के प्रस्तावित कारबार क्रियाकलाप (कृपया ध्यान दें यदि व्यवसाय में बैंककारी, बीमा, जोखिम पूंजी, म्यूचल फंड, स्टाक एक्सचेंज, चिट फंड, माइक्रोफाइनेंस, सामूहिक विनियोग स्कीमें और एनबीएफसी सम्मिलित हैं तो विनियामक प्राधिकारी के सैद्धान्तिक अनुमोदन की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

(वर्णित कारबार क्रियाकलाप प्ररूप 2 में भरे जाएंगे)

....

8. * भागीदार के अभिदाय का प्रस्तावित मौद्रिक मूल्य (रूपए में) अंकों में ....

शब्दों में ....

भाग ख : **नाम में परिवर्तन के मामले में**

9. *एलएलपीआईएन .... पूर्व भरा हुआ

10. (क) *सीमित दायित्व भागीदारी का नाम ....

(ख) *सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

*पंक्ति 1 ....

पंक्ति 2..

*शहर ....जिला ....

*राज्य ....*पिन कोड ....

*देश ....*आईएसओ देश कोड..

फोन (एसटीडी कोड सहित) .... फैक्स (एसटीडी कोड सहित) ....

*ई–मेल आईडी..............................

11. * क्या नाम में परिवर्तन, सीमित भागीदारी में परिवर्तन का कारण है ....हां. ....नहीं
यदि हां, तो सीमित दायित्व भागीदारी का
नया/परिवर्तित कारबार..

यदि नहीं, तो नाम के
परिवर्तन के लिए अन्य कारण दीजिए..

12. * क्या नाम में परिवर्तन ....सीमित दायित्व भागीदारी में अधिकथित प्रक्रिया पर आधारित है
....समस्त भागीदारों की सहमति से है

भाग ग : सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के आरक्षण अथवा विद्यमान नाम में परिवर्तन से संबंधित ब्यौरे

13. सीमित दायित्व भागीदारी का प्रस्तावित नाम (कृपया अधिमानता क्रम में 6 नाम दें)

(क)* ....

(ख) ....

(ग) ....

(घ) ....

(ड.) ....

(च) ....

14. प्रस्तावित नाम (नामों) में महत्वपूर्ण अथवा मुद्रित शब्द (शब्दों) के महत्व का विवरण दें (संक्षेप में)

(क) *...

(ख) ....

(ग) ....

(घ) ....

(ड.) ....

(च) ....

(यदि प्रस्तावित नाम में कोई कियाकलाप सम्मिलित है तो ऐसे क्रियाकलाप को एलएलपी के प्रस्तावित कारबार में दर्शाया जाना चाहिए)

15. (क) *क्या प्रस्तावित नाम किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेडमार्क पर आधारित है/हैं अथवा व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित आवेदन का विषय है हां.............. नहीं ....

(ख) यदि हॉ तो व्यापार चिन्ह अथवा आवेदन के ब्यौरे प्रस्तुत करें

....

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. विद्यमान सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में परिवर्तन के मामले में, सीमित दायित्व भागीदारी के उद्धरणों / विनिश्चय की प्रमाणित प्रति/समस्त भागीदारों की सहमति — संलग्न करें

2. व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकरण / ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति / व्यापार चिन्ह उपयोग करने के लिए प्राधिकार की प्रति — संलग्न करें

3. यदि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निदेश के कारण परिवर्तन है तो ऐसे निदेश की एक प्रति — संलग्न करें

4. वैकल्पिक संलग्नक – संलग्न करें

संलग्नक हटाएं

सत्यापन

मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप में दी गई सूचना और इसका संलग्नक सही और पूर्ण हैं, और प्रस्तावित नाम किसी अन्य भागीदारी फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी अथवा कारपोरेट निकाय अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह अथवा व्यापार चिन्ह के नाम से अवांछनीय, समान अथवा काफी अधिक मिलता नहीं है जो व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का विषय है।

मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ लिया है और